



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07-11-2020

दिनांक 06/07-11-2020 को रात्रि बंधरा 02, अलीगंज 04, ठाकुरगंज 02, चौक 03 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना आशियाणा:-दिनांक 06-11-2020 को श्री केशव कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना आशियाणा लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-अजय गुप्ता पुत्र स्व0 घनश्याम गुप्ता निवासी 551क/281 आजाद नगर, संजय गांधी मार्ग थाना कृष्णानगर लखनऊ 02-अमित गुप्ता पुत्र नन्हे लाल गुप्ता निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना कोठी बाराबंकी, हालपता-आजादनगर संजय गांधी मार्ग थाना कृष्णानगर लखनऊ 03-नीरज दीक्षित पुत्र सूरज प्रकाश गुप्ता निवासी 551क/268 आजादनगर संजय गांधी मार्ग कृष्णानगर लखनऊ 04-गौरव श्रीवास्तव पुत्र स्व0 गिरीश कुमार श्रीवास्तव निवासी 568ख/471 गीतापल्ली आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ के विरूद्ध यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना मोहनलालगंज:-दिनांक 06-11-2020 को एस0आई0 श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-पिंटू पुत्र परीदीन निवासी ग्राम भैदुवा मजरा गौरा थाना मोहनलालगंज लखनऊ 02-नवीन गिरी पुत्र राम मिलन गिरी निवासी गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ 03-अंकित पुत्र प्रह्लाद गौतम निवासी गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ 04-विनोद उर्फ विक्रम पुत्र किटान देव निवासी गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ 05-रोहित पुत्र नरेटा गौतम निवासी गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ 06-मन्नू पुत्र भूर्इया दीन निवासी गौरा कालोनी थाना मोहनलालगंज लखनऊ को आपस में रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर ताटा के पत्तों द्वारा जुआ खेलते समय सार्वजनिक स्थान ग्राम भैदुवा रेलवे क्रासिंग के पास साहू प्लाटिंग के पास मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मालफड़

में 3620/-रूपये, ताटा के 52 अद्द पत्ते व जामा तलाटी में 880/-रूपये बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

बाजारखाला:-दिनांक 07-11-2020 को श्री विजयेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक बाजारखाला लखनऊ द्वारा अभि० 1-मो० आबिद पुत्र मो० आसिफ निवासी 293/456 लकड़मण्डी पुराना हैदरगंज थाना बाजारखाला के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा०द०वि०

बंधरा:-दिनांक 07-11-2020 को थाना बंधरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुधाकर सिंह यादव निवासी ठकुराईनखेड़ा मजरा माती थाना बंधरा लखनऊ ने थाना बंधरा पर सूचना दिया कि वादी ने अभी कुछ समय पूर्व ही आर०बी०एल० बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाया था, वादी का क्रेडिट कार्ड नं० है। जिसकी वैधता 10/2026 तक है। वादी के क्रेडिट कार्ड में ऑन-लाइन ओ०टी०पी० से पेमेन्ट नहीं हो सकता था, जिसके लिए वादी ने बैंक के कस्टमर केयर को दिनांक 03-11-2020 को टिकायत दर्ज की थी, अगले ही दिन दिनांक 04-11-2020 को वादी को बैंक से एक नम्बर से कॉल प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी सेटिंग सही कर देगे, कृपया हमे अपना एक ओ०टी०पी० बता दीजिए, फिर वादी को 02 ओ०टी०पी० प्राप्त हुए, जिन्हे वादी ने उन्हे प्रदान किया, और उन्होंने बताया कि हमारी सारी सेटिंग अपडेट हो गयी है, ओ०टी०पी० से कोई भी पेमेन्ट का मैसेज नहीं था, ओ०टी०पी० प्रदान करने के 05 मिनट बाद 12.50 बजे वादी के क्रेडिट कार्ड से 29,725/-रूपये काट लिये गये, इसके पटचात् कॉल कट हो गयी, वादी ने पुनः फोन लगाया, तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। इस सूचना पर थाना बंधरा पर मु०अ०सं० 416/2020 धारा 420 भादवि व 66डी आई०टी० एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस०आई० श्री प्रहलाद सिंह मो०नं० 8957985519 द्वारा की जा रही है।

